7 राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

भारतीय संविधान हमारे समाज के सभी वर्गों को न्याय और बराबरी की गारंटी देता है, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म, रंग और लिंग कुछ भी हो। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक विधान अधिनियमित किए गए हैं और महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इन निवारक उपायों के बावजूद, महिलाओं पर होने वाले अपराधों जैसे दहेज मृत्यु, तेजाब से हमले, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि जारी हैं। महिलाओं के अधिकारों के अनुमोदन और संरक्षण के लिए आयोग को प्राप्त अधिदेश के अनुसरण में स्टेकहोल्डरों से व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात वर्ष 2009–10 के दौरान, वैधानिक पहलुओं के संबंध में नीचे उल्लिखित सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस वर्ष के दौरान महिलाओं के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययनों को भी प्रायोजित किया है और इन अध्ययनों से प्राप्त सिफारिशों का भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने के लिए नीचे उल्लेख किया गया है।

वर्ष 2009–10 के दौरान विधिक प्रकोष्ठ द्वारा की गई सिफारिशें:

1. बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वसन की योजना

माननीय उच्चतम न्यायालय ने देहली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 362/93 में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ऐसी स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया जिससे "बलात्कार की दुर्भाग्यशाली पीड़िताओं के आंसू पोछे जा सकें।" उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में निहित निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड स्थापित किया जाए क्योंकि बलात्कार पीड़िताओं को मानसिक संताप के अतिरिक्त प्रायः पर्याप्त वित्तीय हानि भी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने रोजगार को जारी नहीं रख सकतीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िताओं हेतु प्रतिपूर्ति का निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध हो जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध होने या न होने दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। बोर्ड बलात्कार के कारण पीड़िता को हुए कष्ट, उसके द्वारा झेली जा रही परेशानी और मानसिक आघात तथा साथ ही गर्भधारण करने के कारण रोजगार खो देने के कारण आय से वंचित हो जाने और प्रसव पर होने वाले व्यय इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष स्कीम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस संबंध में गठित सचिवों की समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाए गए:

(i) बलात्कार पीड़िताओं को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना स्कीम तैयार की जाएगी और इस स्कीम में अंतरिम प्रतिपूर्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(iii) स्कीम के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए जिसे सहायता–अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(iv) किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

(v) राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

(vi) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशानिर्देशों के आलोक में इस स्कीम को फिर से तैयार किया है और स्कीम को तैयार करने में आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में इसके स्वयं के आकलन से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। 25 जुलाई, 2009 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र के दौरान की गई सिफारिशों के अनुसार स्कीम का प्रारूप फिर से तैयार किया गया है और उसे मंत्रालय को भेजा गया है (अनुलग्नक VI)।

2. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधनः

इस अधिनियम में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और उसे अनुमोदनार्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन अनुलग्नक–XI पर संलग्न है।

3. घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

आयोग इस बात की पुरजोर सिफारिश करता है कि घरेलू कर्मचारियों के कल्याण के लिए और उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए एक विधेयक पारित किया जाए। व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात "घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010" शीर्षक से एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है और उसे विचारार्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है। प्रति अनुलग्नक–XII पर संलग्न है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और वर्ष 2009–10 के दौरान आयोजित किए गए अनुसंधान अध्ययनों की सिफारिशें

1. मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबंध में बिहार के 5 जिलों – पटना, नालंदा, खगड़िया, सहरसा और रोहतास में चुनिंदा गांवों में अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहकारी समिति, पटना द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को विकास का एक संवेदनशील सूचक माना जाता है। विश्व भर में सबसे अधिक शिशु और मातृ मृत्यु दर भारत में दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर में 75 प्रतिशत तक की कमी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत की दर से मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जाए और तभी अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

संपूर्ण भारत की तुलना में बिहार में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी अधिक है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि बिहार राज्य में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं काफी अपर्याप्त हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यधिक अपर्याप्त उपलब्धता है। इस अध्ययन के द्वारा बिहार में विद्यमान इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

मुख्य सिफारिशें:

केंद्र सरकार:

- चिकित्सकों की भर्ती के संबंध में नीतिगत स्तर पर निर्णय किए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों का वेतन और उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वे उनके लिए आकर्षक हों और वे वहां कार्य करने के प्रति अनिच्छुक न हों।
- सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षणप्राप्त दाइयों को नियुक्त करने के संबंध में एक नीति तैयार की जानी चाहिए।
- बिहार में रह रहे समुदायों द्वारा शिशुओं को आहार उपलब्ध कराने के संदर्भ में उनके बीच विकसित अभिवृत्ति का और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है ताकि बिहार में माताओं द्वारा अपने शिशुओं को स्तनपान कराने से झिझकने के पीछे के कारणों को समझा जा सके।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों, स्थानीय सेवाओं, एनआरएचएम आदि के कार्यकरण के संबंध में निरंतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करते रहना चाहिए।
- इन निष्कर्षों के आधार पर छोटी स्थानीय एजेंसियों/स्वैच्छिक संगठनों के जरिए समुदाय को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने और उनकी पहुंच में सुधार लाने के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इससे स्थानीय संगठनों द्वारा भी अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

राज्य सरकार:

- रोगियों को समय पर अस्पताल पहुंचने में सहायता करने के लिए सरकारी अस्पतालों में कम से कम एक एम्बुलेंस (चालू स्थिति में) उपलब्ध होनी चाहिए।
- सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां, आयरन की गोलियां, ओआरएस पैकेट उपलब्ध होने चाहिए ताकि जब कभी भी कोई गर्भवती स्त्री अस्पताल में जांच के लिए आए तो उसे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
- सरकारी अस्पतालों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल दाइयों, विशेषज्ञों, विशेषज्ञ चिकित्सकों को समय–समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।
- सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को बनाए रखने पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
- गर्भवती माताओं को फल के रस आदि जैसे पोषाहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से लोगों में सरकारी अस्पतालों के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा।
- दूरदराज के इलाकों में रह रहे रोगियों को शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक अलग से सचल एम्बुलेंस–सह–डिस्पेंसरी सेवा विकसित की जानी चाहिए।
- उपयुक्त दरों पर दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए एक मोबाइल वैन उपलब्ध होना चाहिए जो निकटवर्ती गांवों में वहां की जनसंख्या के दृष्टिगत सप्ताह में एक या दो बार जाए। इस मोबाइल वैन में सामान्य आयरन की गोलियां, ओआरएस पैकेट, दर्दनिवारक गोलियां, टॉनिक, विटामिन ए की गोलियां, निरोध आदि होने चाहिए। इससे स्वास्थ्य के संबंध में लोगों में जागरूकता विकसित होगी और साथ ही उनके मन में स्वास्थ्य केंद्रों के प्रति विश्वास भी जगेगा।
- स्थानीय अस्पताओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर निरंतर निगरानी और उनका मूल्यांकन किया जाता रहना चाहिए तथा निष्कर्ष प्राप्त होने के तत्काल पश्चात सिफारिशों को निरंतर लागू किया जाना चाहिए।

जिला स्तरीय प्राधिकरणः

- स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जांच कक्षों और प्रसव कक्षों में पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे महिलाएं काफी असहज महसूस करने लगती हैं।
- अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसरों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए।
- सभी जरूरतमंद रोगियों के लिए निःशुल्क औषधियां और सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- चिकित्सकों, कुशल दाइयों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरते रहना चाहिए।
- नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन मेलों के दौरान, टीकाकरण, पूरक औषधियां प्रदान की जानी चाहिए तथा संबंधित मुद्दों जैसेकि पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल आदि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की जानी चाहिए।
- शिशुओं के लिए समय से और पर्याप्त टीकाकरण को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने, उनके विकास पर निगरानी रखने, उन्हें डायरिया का शिकार हो जाने पर उनकी उचित देखभाल करने, पर्याप्त स्तनपान और माता द्वारा उनका स्तनपान छुड़ाए जाने का समय आदि के संबंध में उपयुक्त परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- इन स्वास्थ्यकारी परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय, स्थानीय सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों आदि सभी संबंधितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

स्थानीय निकाय/पंचायत/स्टेकहोल्डरः

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस आदि का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क औषधियां/सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- माता और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल, गर्भनिरोधक सुविधाओं, बच्चों को आहार देने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य विषयों के सभी घटकों पर ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
- जागरूकता कैम्पों में पुरुषों की भागीदारी अत्यधिक आवश्यक है। पुरुषों के लिए अलग से कैम्प आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि महिलाएं/परिवार मिश्रित समूह में अपनी बात कहने में असहज महसूस करती हैं।
- अन्य कार्यकारी समूहों को विभागों, समितियों, गैर–सरकारी संगठनों आदि के बीच समन्वय होना चाहिए। इससे संसाधनों का बेहतर रूप में और अधिक प्रभावी रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- गांव के मुखिया की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक जागरूकता कैम्प आयोजित किए जाएं। जिन कैम्पों में पहुंचकर संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों की बातचीत सुनने के लिए मुखिया द्वारा अपने साथ गांव की महिलाओं को लेकर आया जाए ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई नई प्रगतियों से अवगत हो सकें।
- गर्भनिरोधक विधियों और शिशुओं को स्तनपान कराने के संबंध में नियमित आधार पर वार्ता आयोजित की जानी चाहिए।
- "आंगनवाड़ी" के स्वयंसेवकों द्वारा अपने क्षेत्र में रहने वाली विशेषकर गर्भवती महिलाओं और सामान्यतः सभी महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित आधार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

2. उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आकलन हेतु अनुसंधान अध्ययन – सद्ज्योतिका, अपर्णा नगर, चौलियागंज, पी ओ नया बाजार, कटक (उड़ीसा) द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

उड़ीसा में जनजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य दशाएं गैर–जनजातीय लोगों की तुलना में काफी निम्न स्तर पर हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा कराए गए एक अध्ययन (1993) के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 115 है जबकि गैर–जनजातीय क्षेत्रों में 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से मात्र 85 है। इससे जनजातीय समुदाय द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुंच और उपयोग की निम्न स्थिति प्रदर्शित होती है। इस अध्ययन द्वारा उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक दशा और निम्न स्वास्थ्य स्थिति के बीच संबंध का आकलन किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति और प्रतिदर्श क्षेत्रों में चलाए जा रहे विभिन्न चालू विकासात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी पर विचार करते हुए निम्नलिखित सुझाव और सिफारिशें की गई हैं:

- सामान्यतः जनजातीय लोगों और विशेषकर जनजातीय महिलाओं का उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख विकासात्मक सूचकों की समय–समय पर निगरानी की जानी चाहिए तथा इस संबंध में प्राप्त फीडबैक से संबंधित एजेंसियों को सूचित किया जाना चाहिए।
- आईटीडीए स्तर पर क्षेत्र–विशिष्ट और जनजातीय–विशिष्ट बहु–क्षेत्रीय परियोजनाएं निर्धारित की जानी चाहिए तथा जनजातीय महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जनजातीय आबादी के समेकित विकास हेतु उनका प्रयोग किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के विकास को बाधित करने का प्रमुख कारण महिलाओं में साक्षरता दर का कम होना है। महिलाओं में विकास की गति को त्वरित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं उदाहरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयसृजन स्कीम, स्वास्थ्य सुविधा, पोषाहार सेवाएं आदि से युक्त पूर्णतः सुसज्जित शैक्षणिक परिसर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- और अधिक संख्या में जनजातीय महिला लाभभोगियों को आकर्षित करने के लिए इस स्कीम के संवर्धन और क्रियान्वयन हेतु इसमें अधिकाधिक अनुभवी और सक्षम शैक्षणिक संगठनों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न विकास कार्यक्रमों, विशेषकर रोजगार और आयसृजन पर केंद्रित कार्यक्रमों के बारे में जनजातीय महिलाओं को जानकारी उपलब्ध न होना उन कार्यक्रमों में उनकी कम भागीदारी होने का कारण है। गांव, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों को लक्षित जनजातीय महिला समूहों के बीच जागरूकता सृजन और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए कार्यक्रम चलाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- अल्पकालिक तकनीकी कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आय सृजन स्कीमों से जोड़ा जाना चाहिए।
- स्व–सहायता समूहों को आजीविका के विविध साधन उपलब्ध होने चाहिए। उनके आवश्यक कौशल को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनके परंपरागत कौशल को आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ा जा सके।
- इन निर्धन जनजातीय महिलाओं की सफलता उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले सूक्ष्म ऋण की सुविधा पर निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक है कि जनजातीय

महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कृषि, पशुपालन, जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा और वन आधारित क्रियाकलापों के लिए ऋण आबंटित करने के संबंध में अधिक सुदृढ़ और विस्तारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

- जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए जनतीय बहुल क्षेत्रों में आवधिक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जनजातीय विकास एजेंसियों ,ारा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के सहयोग से सचल स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाने चाहिए।
- स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों और महिला समूहों को जनजातीय समुदाय में रोग के कारणों, विभिन्न रोगों के निवारक उपायों, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, व्यक्तिगत साफ–सफाई, स्वच्छता आदि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और शैक्षिक अभियान चलाने हेतु अधिकाधिक प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सुरक्षित पेय जल को उपयोग में लाने और स्वच्छता को अपनाने की आदत विकसित की जानी चाहिए। महिला साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत साफ–सफाई और स्वच्छता आदि की स्थिति में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक आईईसी कार्यनीति क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
- जनजातीय माताओं में काफी अधिक निरक्षरता पाई गई है। जनजातीय माताओं को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और साफ–सफाई आदि पर ध्यान दे सकें। जनजातीय माताओं के लिए पेय जल के शुद्धिकरण, व्यक्तिगत साफ–सफाई, डायरिया से ग्रसित हो जाने की स्थिति में ओआरएस की आवश्यकता, स्वयं और नवजात शिशु दोनों के लिए टीकाकरण आदि के संबंध में जागरूक होना आवश्यक है।
- जनजातीय महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्यों की क्षमता को सुदृढ़ बनाने और उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर आवधिक रूप से अल्पकालिक अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे पंचायती राज संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का प्रभावी रूप में वहन कर सकें।

3. उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा जिले में पंचायतों में कार्य कर रही महिलाओं के संबंध में किया गया अध्ययन (ब्लॉक–वार सर्वेक्षण पर आधारित) – जलगांव समिति सजगौरी, गांव सजगौरी, पीओ देवली खेत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अल्मोड़ा जिले में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का आकलन करना और पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की प्रकृति और उसके परिमाण का पता लगाना था। इस अध्ययन के लिए पंचायतों की महिला सदस्यों को लक्षित किया गया था। विश्लेषण हेतु परिमाणात्मक और गुणात्मक आंकड़े प्रयोग में लाए गए। यह अध्ययन अल्मोडा जिले के 10 ब्लॉकों में किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

- निरक्षर लोगों या प्राथमिक स्कूल के स्तर से कम स्तर तक पढ़े–लिखे लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाए।
- राजनीति में आने के लिए युवा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए।
- सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसे नियमित आधार पर भी चलाया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनेक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जैसेकि

नियम और विनियम, प्रशासनिक मुद्दे, बजटिंग और वित्त तथा विकास स्कीमों का क्रियान्वयन आदि।

- महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में वृद्धि करने की दृष्टि से उन्हें अधिक मात्रा में मानदेय दिया जाए।
- नीतिगत स्तर पर महिला की अध्यक्षता वाले पंचायतों और वार्डों के लिए सीटों के रोटेशन की प्रणाली बंद कर दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
- न केवल महिलाओं का अधिकाधिक प्रतिशत में राजनीति में प्रतिनिधित्व बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए बल्कि राजनीति में बने रहने के लिए उनकी सक्षमता में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

4. शिमला, जिला हिमाचल प्रदेश में अकेली रह रही महिलाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में अनुसंधान अध्ययन : ऐसी महिलाओं की संख्या ज्ञात करना और उनकी प्रमुख समस्याओं के संबंध में जानकारी एकत्र करना – प्रियंका भारद्वाज द्वारा किया गया अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कानूनी, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अकेली रह रही महिलाओं की समस्याओं की पहचान करना था। इस अध्ययन हेतु गैर–प्रयोगात्मक, अन्वेषणात्मक और रचनात्मक अनुसंधान क्रियाविधि को प्रयोग में लाया गया। इस अध्ययन में एक ही जिले के 10 ब्लॉकों में अकेली रह रही 5017 महिलाओं को शामिल किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

- आरक्षण सूचकांक में अकेली रह रही महिलाओं के पृथक यूनिट स्थापित करने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से पहली बात तो यह है कि उन्हें मान्यता प्राप्त होगी और दूसरी यह कि इससे उन्हें राशन कार्डों, बिजली बिलों, पानी के बिलों में सरकार से वित्तीय छूट प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।
- इन महिलाओं के लिए तत्काल कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इनके लिए हिंदी माध्यम में पुस्तक और पंफलेट छपवाए जाएं और उन्हें 1/– रुपए के न्यूनतम मूल्य पर इनमें वितरित किया जाए।
- इन पंफलेटों के बारे में इन महिलाओं को ग्राम प्रधानों या उनके सहायकों द्वारा महीने में दो बार आयोजित वार्ता कार्यक्रमों में बताया जाए।
- आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत बहुत अधिक संख्या में नौकरियों और स्व–रोजगार की आवश्यकता है। इस परियोजनार्थ 5–7 किलोमीटर की दूरी पर 10–12 लोगों को शामिल करके छोटे सहकारी केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। ऐसे केंद्र किसी क्षेत्र के चारों ओर के कम से कम 5–7 किलोमीटर के इलाके को कवर करेंगे और इनका मुख्य उद्देश्य उन गांवों में रहने वाली महिलाओं को इन केंद्रों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना होगा।
- ये केंद्र सेब की खेती और उसके उत्पादों को तैयार करने से संबंधित कार्य कर सकते हैं।
- ये केंद्र बिक्री हेतु घर में निर्मित सेब उत्पादों को तैयार कर सकते हैं।
- ये सेब की खेती के लिए आवश्यक उपकरणों और कच्ची सामग्रियों के विक्रय हेतु केंद्र भी चला सकते हैं।
- इन केंद्रों का प्रयोग **स्व–विकास केंद्रों** के रूप में भी किया जा सकता है। इस केंद्र में पहले से विद्यमान पंचायती राज स्कीमों में कार्य करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है और ये महिलाएं यदि उस क्षेत्र में पहले से पंचायती राज स्कीम में कार्य नहीं कर रही हैं तो भविष्य में ऐसी स्कीमों के शुरू होने पर उनके क्रियान्वयन में सहायता कर सकती हैं। इस प्रकार महिलाओं की

आधार स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। चूंकि इस प्रकार का केंद्र ग्रामवासियों की पहुंच के भीतर स्थित होगा और उसमें गांव की अपनी महिलाएं कार्य कर रही होंगी, अतः इन केंद्रों को अत्यधिक समर्थन प्राप्त होगा। इन केंद्रों की निगरानी ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता अधिकारी, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा की जा सकती है। ऐसा केंद्र क्षेत्रीय महिलाओं को आत्मविश्वास और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा।

- मशोबरा, थियोग, रामपुर और रोहुर कस्बा जैसे क्षेत्रों में खोले गए केंद्रों में शिशु सदन भी खोला जा सकता है। चूंकि यहां कार्य कर रही अनेक महिलाएं या तो नौकरियां कर रही हैं या सेब की देखभाल के लिए सेब फार्मों में जाती हैं, अतः उन्हें अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सहायक की आवश्यकता है। शिशु सदन खोलना दोनों पक्षों के लिए काफी लाभदायी सिद्ध हो सकता है।
- इन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कराने की दिशा में दाई और नर्स या प्राथमिक सहायता करने वाली महिला के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना एक दूसरा तरीका हो सकता है। इन केंद्रों में यदि इस प्रकार का विकल्प उपलब्ध हो तो इन केंद्रों में रोगियों को आसानी से प्राथमिक सहायता उपलब्ध हो सकती है और इस प्रकार रोगी को किसी अस्पताल या चिकित्सक के पास पहुंचाने से पहले उसकी दशा को अधिक बिगड़ने से रोका जा सकता है।
- एक लोकप्रिय सुझाव है कि इन महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए; इस संबंध में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। इन महिलाओं को प्रतिमाह लगभग 800/– रुपए की सहायता प्रदान की जा सकती है जिससे वे कारगर ढंग से अपना जीवनयापन कर सकती हैं क्योंकि यह राशि उनके लिए एक अतिरिक्त सहायता के रूप में होगी।
- अंतिम समाधान के रूप में किंतु यह समाधान भी पूर्णतः पर्याप्त नहीं हो सकता, यह उल्लेख किया जाता है कि सामाजिक क्षेत्र एक अत्यधिक जटिल व नाजुक क्षेत्र है, जहां कोई एक या कोई अनेक कानूनों को बनाकर समस्याओं का समाधान कर पाना संभव नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए संपूर्ण समाज की ओर से सजग प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अतः इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा उपाय यह है कि इन महिलाओं को अपने आसपास की जीवनशैली की प्रारूपिक नकारात्मक परंपरागत मनस्थिति से बाहर निकलकर जीवनयापन करने के लिए शिक्षित किया जाए। यह कार्य वास्तव में आसान नहीं है, फिर भी "आज की महिलाएं और उनका परिवर्तित हो रहा जीवन" विषय पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित करके इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। इससे वे समाज का बिना किसी हीन भावना के मुकाबला करने में सक्षम होंगी और इस प्रकार उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
- अकेली रह रही महिलाएं समाज पर बोझ नहीं हैं वरन वे समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। इस संकल्पना को अकेली रह रही महिलाओं के लिए आरक्षण सूचकांक में एक पृथक श्रेणी सृजित करने की दिशा में एक अन्य मांग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए किंतु यह संकल्पना मानव संसाधन को विकसित करने के रूप में देखी जानी चाहिए। चार्ल्स फूरियर के शब्दों में, **"महिला अधिकारों को व्यापकता प्रदान करना सभी सामाजिक प्रगति का मूलभूत सिद्धांत है।"**

5. आंध्र प्रदेश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों द्वारा आत्महत्या के कारण उनके परिवारों और महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना – नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बुनकरों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों और उनके परिवारों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना था। इस अध्ययन हेतु यादृच्छिक रूप में 200 पीड़ित परिवारों (इनमें अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले और प्राप्त नहीं करने वाले दोनों ही प्रकार के परिवार शामिल थे) का चयन किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

- ऐसे बुनकरों के परिवारों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है जो घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें वित्तीय और साथ ही रोजगार संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि इन परिवारों में आत्महत्या जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
- जिन परिवारों के पुरुष द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, उनके सदस्यों और विशेषकर आत्महत्या करने वालों की विधवाओं को परामर्श दिया जाए ताकि उन्हें अवसाद की स्थिति से बाहर निकाला जा सके और संकट का सामना करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सके।
- आत्महत्या करने वालों की विधवाओं में कौशल और नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए उनके लिएं प्रशिक्षण आयोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे न केवल अपने पारिवारिक कार्यों को निपटाने में बल्कि घर से बाहर के कार्यों को निष्पादित करने में समर्थ हो सकें।
- सरकार द्वारा इस बात पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि आत्महत्या के कारण प्रभावित परिवारों में बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें बल्कि ऐसे परिवारों के जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, उन्हें फिर से स्कूलों में भेजा जाए।
- चूंकि बहुत अधिक परिवार किराये के मकानों में और एस्बेस्टस की छत वाले कमरों में रह रहे हैं, अतः इन परिवारों को पक्का मकाने बनाने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए।
- स्व–रोजगार से जुड़ी महिलाओं का बुनाई उपकरण (पिटकरघा) पुराना हो चुका है, अतः उन्हें नया उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- रियायती दरों पर कच्ची सामग्री की आपूर्ति के लिए कच्ची सामग्रियों के डिपो स्थापित किए जाने चाहिए।
- तैयार उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बाजार में बेचने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।
- चूंकि बीड़ी बनाने के काम में पारिश्रमिक कम मिलता है और यह कार्य स्वास्थ्य के लिए भी काफी जोखिम भरा है, अतः बीड़ी बनाने के काम में लगी बुनकरों की विधवाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- कर्ज देने में साहूकारों की भूमिका को कम करने के लिए बैंकों तक पहुंच में वृद्धि की जानी चाहिए।
- अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु उन परिवारों की पहचान करने, जिनमें पुरुष सदस्यों द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, के लिए पूर्णतः सुव्यवस्थित विधि विकसित की जानी चाहिए।
- सभी विधवाओं को स्व–सहायता समूहों में सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कम ब्याज दर पर ऋण लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके आय सृजक क्रियाकलापों में विविधता आ सके।
- केंद्र और राज्य सरकारों की सहकारी क्षेत्रों में बुनकरों पर केंद्रित सभी कल्याण स्कीमों को सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

6. **उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति : धारी विकास ब्लॉक का एक तुलनात्मक अध्ययन** –

एक्टिविस्ट ऑफ वोलंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्युमेनिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

- इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना और महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना था। इस अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए गए। कुल प्रतिदर्श आकार 529 परिवारों का था जिनमें बोधिबन, धनचुली, अक्सोडा और कोकिलबाना से परिवार शामिल किए गए थे।

मुख्य सिफारिशें:

- महिलाओं के लिए परिवार और समाज में समानता की स्थिति स्थापित करना अनिवार्य है, इस प्रयोजनार्थ जागरूकता सृजन के जरिए समुदाय की सोच में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
- बालिका शिक्षा को महत्त्व दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता का स्तर काफी कम पाया गया। अतः समय–समय पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्राम स्तर पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए।
- महिलाओं को अपने क्रियाकलापों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।
- लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा आदि जैसी बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण और समाज में समानता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाया जाए। कुटुम्ब की संपत्ति में महिलाओं का हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।
- महिलाओं की अवधारणाओं में परिवर्तन हेतु स्व–सहायता समूहों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि हो।